

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: 16 वीं विधानसभा/तृतीय सत्र/2025/1511

दिनांक:- 03/03/2025

—: आदेश :-

डॉ० दुर्गेश राँय, उप निदेशक (विधानसभा), श्री आनेल शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, श्री हितेश कुमार केवलरमानी, वरिष्ठ सहायक एवं श्री दीपक तिवारी, कनिष्ठ सहायक को निर्देशित किया जाता है कि वे 16वीं राजस्थान विधानसभा में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग के आय-व्यय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों हेतु विधानसभा से प्राप्त कटौती प्रस्तावों के जवाब कमेटी द्वारा अनुमोदन पश्चात् संकलित कर 40 सैट तैयार करवाकर विधानसभा को प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)  
निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 03/03/2025

क्रमांक: 16 वीं विधानसभा/तृतीय सत्र/2025/1511

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री महोदय राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसज कॉर्पोरेशन, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), मुख्यालय।
5. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक), मुख्यालय।
7. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1/2/3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
9. निदेशक (आई.ई.सी./आरसीएच/अराजपत्रित/एड्स), मुख्यालय।
10. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर।
11. निदेशक आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर।
12. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना अजमेर रोड, जयपुर।
13. निदेशक भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक (एनएचएम/एड्स), मुख्यालय।
15. अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन /राजपत्रित /आरसीएच /आई.ई.सी /ग्रामीण स्वास्थ्य / योजना), मुख्यालय।
16. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
17. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल/फार्मसी कौंसिल/राजस्थान स्टेट एलाईड एण्ड हैल्थ केयर कौंसिल जयपुर।
18. औषधि नियंत्रक, प्रथम/द्वितीय, जयपुर।
19. संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित/चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय।
20. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
21. समस्त अनुभागधिकारी प्रभारी/संस्थापन/प्रशासनिक/अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, मुख्यालय।
22. उप निदेशक, (विधानसभा), मुख्यालय।
23. समस्त संयुक्त निदेशक जोन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
24. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
25. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
26. भण्डार अधिकारी को भेजकर लेख है कि विधानसभा से प्राप्त कटौती प्रस्ताव के अनुमोदित जवाबों के अधिकतम 40 सैट कराने हेतु फोटो कॉपी मशीन सूचारु रूप से कार्यरत रहे कि व्यवस्था सुनिश्चित करावें ताकि समय पर राज्य सरकार को कटौती प्रस्तावों के अनुमोदित जवाब की प्रतियाँ भिजवाई जा सकें।
27. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुये संबंधित को ई-मेल करें।
28. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ।
29. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य),  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,  
राजस्थान, जयपुर।